



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275498
CG-DL-E-17082026-275498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4336]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4336]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4516(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2924(E) तारीख 08/06/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में NH205 के कि.मी. 22.6 से कि.मी. 42.1 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 'हिमाचल दस्तक' और 'द ट्रिब्यून' में दिनांक 18.06.2026; दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में NH205 के कि.मी. 22.6 से कि.मी. 42.1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: सोलन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अर्की					
गांव का नाम: डिनण (253)					
1	291/238/27	निजी (आवी अव्वल)	एग्रीकल्चर	0.0049	जगदीश चन्द, कमल लाल पुत्र हरीराम भाग बराबर 291/238/27/1
गांव का नाम: नलाग (244)					
2	85/61	निजी (घासनी)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0188	नवीन कुमार, प्रदीप कुमार पुत्र व श्रीमति सुईनी विधवा हरी सिंह पुत्र रला 85/61
गांव का नाम: क्यारड (245)					
3	92	निजी (घासनी)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0038	कन्हैया राम पुत्र गरजा पुत्र साधू 92
Total				0.0275	

[फा. सं. 11016/2/88/Cala Arki/Pkg-II/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4516(E) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2924(E) Dated:08/06/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter

referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH205 in the stretch of land from Km. 22.6 to Km. 42.1 in the district of SOLAN in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in 'Himachal Dastak' and 'The Tribune' 18.06.2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH205 in the stretch of land from Km. 22.6 to Km. 42.1 in the district of SOLAN in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: SOLAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Arki					
Village: Dinan (253)					
1	291/238/27	Private (Aavi Awwal)	Agriculture	0.0049	Jagdish Chand and Kamal Lal, sons of Hariram equal share. 291/238/27/1
Village: Nalag (244)					
2	85/61	Private (Ghasni)	Non Agriculture	0.0188	Naveen Kumar and Pradeep Kumar sons, and Smt. Suini widow of Hari Singh. 85/61
Village: Kiarad (245)					
3	92	Private (Ghasni)	Non Agriculture	0.0038	Kanhaiya Ram, son of Garja, son of Sadhu. 92
Total				0.0275	

[F. No. 11016/2/88/Cala Arki/Pkg-II/2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director